न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	09.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश नागर पुत्र श्री प्रभूलाल नागर विक्रेता / मैनेजर मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक निवासी ग्राम संग्रामपुरा पोस्ट गुराई तह. दूनी जिला टोंक
2–श्रीमति मनीषा देवी पत्नि श्री विनोद कुमार नागर प्रोपरायटर मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) (v)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 09.12.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12.2020 को समय 3.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक.पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से मुकेश नागर पुत्र श्री प्रभूलाल नागर विक्रेता / मैनेजर मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक निवासी ग्राम संग्रामपुरा पोस्ट गुराई तह. दूनी जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता / मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया तथा उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्रीमति मनीषा देवी को होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया [illegible] जनता [illegible] विक्रय हेतु दुकान मे **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet S[illegible]ari [illegible]aric Brand)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की [illegible] पर. विक्[illegible] श्री मुकेश नागर को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क[illegible] नोटिस की रसीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

प्राप्त की जिस पर विकेता मुकेश नागर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 115–115 ग्राम के 27 नग **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand)रखे हुये मे से 115–115 ग्राम के 20 नग का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकेता. श्री मुकेश नागर को रू0 960/–अक्षरे नौ सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand) 115–115 ग्राम के 20 नग कुल 2300 ग्राम को बराबर–बराबर प्रत्येक भाग मे 5–5 पैकेट (एक भाग 575 ग्राम) को अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2729 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2729 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. मुकेश नागर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/95 दिनांक 11.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2390/एक्ट/2020/2273 दिनांक 22.12.2020 अनुसार मुकेश नागर से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) व 26(2) (v) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Mis-branded) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand)का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand)का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीट् सुपारी मैरी ब्राण्ड** (Betul Nut Flavoured Sweet Supari Maric Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुकेश नागर पुत्र श्री प्रभूलाल नागर विकेता/मैनेजर मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक निवासी ग्राम संग्रामपुरा पोस्ट गुराई तह. दूनी जिला टोंक पर शास्ति 7,500 (अक्षरे सात हजार पॉच सौ रू0) अप्रार्थी श्रीमति मनीषा देवी पत्नि श्री विनोद कुमार नागर प्रोपरायटर मैसर्स धाकड ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक पर शास्ति 7,500 (अक्षरे सात हजार पॉच सौ रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:01 IST
Reason: SelfAttested

9-12-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक